न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 223/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   श्री मैसर्स ओमप्रकाश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, सोठाना, उपखण्ड विराटनगर, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 06.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री के.डी.शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 30.08.2018 को उचित मूल्य दुकानों की आकस्मिक जांच के दौरान मय जांच दल मैसर्स ओमप्रकाश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, सोठाना, उपखण्ड विराटनगर, जयपुर पर पंहुचे। विराटनगर में अस्थायी अटैच दुकान में जांच करने पर मौके पर 180 लीटर तेल मुताबिक रिकार्ड/पोस मशीन नहीं पाया गया, दुकानदार ने बताया कि विराटनगर की दुकान का केरोसीन सोठाना की दुकान पर खाली करवाया है। दौराने जांच सोठाना की दुकान की जांच करने पर पाया कि दुकानदार द्वारा केरोसीन पोस मशीन से वितरण करने के बावजूद उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया। दुकान के सत्यापन पर कुल 776 लीटर केरोसीन मिला। जिसका कोई संतोषजनक जवाब अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया। दिनांक 31.08.2018 को पुनः रिकार्ड का मिलान कर जांच करने पर विराटनगर कस्बे की दुकान का 180 लीटर केरोसीन तथा सोठाना की दुकान का 92.5 लीटर कुल केरोसीन 272.5 लीटर ही स्टॉक में होना चाहिए था। इस प्रकार वांछित मात्रा से 503.5 लीटर केरोसीन अधिक था। वक्त जांच तक 20 लीटर केरोसीन दुकानदार द्वारा वितरण करने पर 252.50 लीटर ही शेष होना चाहिए था। दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जाकर अपने पास ही बचाकर रख लिया तथा विराटनगर स्थित दुकान का केरोसीन भी कालाबाजारी की नियत से ग्राम पंचायत सोठाना की दुकान में अवैध रुप से भण्डारित कर लिया। दुकान में उपलब्ध 756 लीटर केरोसीन मय 4 ड्रम जब्त किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के.डी.शर्मा ने दिनांक 12.01.2023 उपस्थिति दी। दिनांक 02.02.2023 को अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी ओमप्रकाश शर्मा ग्राम पंचायत सोठाना का प्राधिकारधारक है तथा इस दुकान के साथ वार्ड नम्बर 1,5,6, 15, 20 को सम्बद्ध किया हुआ है। अगस्त 2018 में बारिश के कारण गाडी खराब होने के कारण 180 लीटर केरोसीन तेल उचित मूल्य दुकान ग्राम सोठाना पर उतारा गया। अप्रार्थी की दुकान पर पाया गया 507 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं का था। यह केरोसीन पोस मशीन द्वारा वितरित हो चुका था, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा केरोसीन तेल ले जाने का साधन नहीं होने के कारण नहीं ले जाया जा सका था। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रही परन्तु अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु बार–बार समय चाहा जाने से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी अधिवक्ता बहस नहीं करना चाहते हैं। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 31.08.2018 को जब्त केरोसीन बाबत कोई बिल, प्राधिकार पत्र व अन्य संबंधी दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी ने दौराने निरीक्षण दुकान के स्टॉक रजिस्टर, यूनिट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, मूल प्राधिकार पत्र वास्ते जांच प्रस्तुत नहीं किये। विराटनगर की उचित मूल्य दुकान का 180 लीटर केरोसीन सोठना की दुकान पर उतारने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी/अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित किया है कि गांव वाले केरोसीन तेल बरतन नहीं होने के कारण बाद में ले जाते हैं। जबकि यह बात कुछ उपभोक्ताओं के संबंध में तो हो सकती है परन्तु लगभग 507 लीटर केरोसीन कई उपभोक्ताओं द्वारा बरतन ना होने के कारण नहीं ले जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसीन कम तोलकर या नहीं दिया जाकर कालाबाजारी अवैध बेचान हेतु केरोसीन बचाया जा रहा था। अप्रार्थी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन को अवैध रुप से क्रय–विक्रय एवं भण्डारण करना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 31.08.2018 की कार्यवाही के दौरान जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 756 लीटर केरोसीन मय 4 ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।